

राजनीति हेतु न्यायाधीश के इस्तीफा देने के नैतिक नहितार्थ

प्रलिस के लयल:

मौजूदा न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के त्याग-पत्र के नैतिक नहितार्थ, संवधान का अनुच्छेद 217, कॉलेजियम प्रणाली ।

मेन्स के लयल:

मौजूदा न्यायाधीश के त्याग-पत्र के नैतिक नहितार्थ, कॉलेजियम प्रणाली का विकास और इसकी आलोचना ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने त्याग-पत्र दे दिया है और एक राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं, जिससे एक न्यायाधीश के इस तरह के कदम के औचित्य पर चर्चा शुरू हो गई है ।

- राजनीति में शामिल होने के लिये न्यायपालिका से न्यायाधीश के त्याग-पत्र से उत्पन्न चर्चाओं के महत्वपूर्ण नैतिक नहितार्थ हैं जो न्यायिक औचित्य, नष्पकषता और न्यायपालिका की अखंडता की धारणा को प्रभावित करते हैं ।

नोट: वर्ष 1967 में, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) कोका सुब्बा राव ने वपिक्षी उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिये सेवानवृत्त होने से तीन महीने पहले त्याग-पत्र दे दिया था ।

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहारुल इस्लाम ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये वर्ष 1983 में सेवानवृत्त से छह सप्ताह पहले त्याग-पत्र दे दिया ।

राजनीति हेतु एक न्यायाधीश के इस्तीफे से संबंधित नैतिक चर्चाएँ क्या हैं?

- न्यायिक नष्पकषता:**
 - न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थ रहें और व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या बाहरी दबावों से प्रभावित हुए बनिक्नेवल तथ्यों तथा कानून के आधार पर नर्णय लें ।
 - वविदों में शामिल होने के बाद राजनीतिक दल में शामिल होने के मौजूदा न्यायाधीश के फैसले से राजनीतिक मामलों से जुड़े मामलों की सुनवाई करते समय उनकी नष्पकषता पर सवाल उठता है ।
 - इससे न्यायपालिका की नष्पकषता से न्याय देने की क्षमता में जनता का वशिवस कम होता है ।
- न्यायिक स्वतंत्रता:**
 - कानून का शासन और लोकतंत्र बनाए रखने के लिये न्यायिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है ।
 - न्यायाधीशों को राजनीतिक संस्थाओं सहित किसी भी बाहरी पक्ष के हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त होना चाहिये ।
 - अपने इस्तीफे/सेवानवृत्त के तुरंत बाद एक न्यायाधीश द्वारा किसी राजनीतिक दल में शामिल होना उसके वगित न्यायिक नर्णयों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है और न्यायपालिका के कार्य पद्धति पर राजनीतिक वचारों के प्रभाव के संबंध में चर्चा उत्पन्न करता है ।
- हति का टकराव:**
 - न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है कि वे हतियों के टकराव से बचें और न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखें ।
 - राजनीतिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी, वशिव रूप से न्यायालय में कार्यरत रहते हुए वविदास्पद बयान और नर्णय, हतियों के टकराव के संबंध में चर्चाएँ उत्पन्न करती हैं ।
- जन वशिवस और भरोसा:**

- न्यायपालिका समाज में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिये जनता के विश्वास और भरोसे पर निर्भर करती है। न्यायाधीश द्वारा उक्त कार्यों में शामिल होना न्यायिक अखंडता और नष्पिकषता की धारणा को कमजोर करता है जिससे संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के संबंध में जनता का विश्वास अत्यंत परभावति होता है।
- न्यायपालिका से राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिये न्यायमूर्तिके इस्तीफे से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता के बारे में जनता के बीच संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- **सेवानवृत्ता पश्चात नयुक्तियों का मुद्दा:**
 - वगित कुछ वर्षों में कुछ सेवानवृत्त न्यायाधीशों ने सेवानवृत्तिके बाद सरकारी पद स्वीकार कर लिये हैं। यह प्रथान्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच स्पष्ट सीमांकन को धूमलि कर देती है।

रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ क्या है?

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1997 में न्यायाधीशों के लिये नैतिक मानकों और सदिधांतों को रेखांकित करते हुए रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ज्यूडिशियल लाइफ का अंगीकरण किया। पुनरकथन से संबंधित प्रमुख बडि नमिनलखिति हैं:
 - **नष्पिकषता:** न केवल न्याय किया जाना चाहिये अपत्ति यह यह प्रदर्शति भी होना चाहिये। न्यायाधीशों के व्यवहार से न्यायपालिका की नष्पिकषता में लोगों के विश्वास की पुष्टि होनी चाहिये।
 - **टकराव से बचना:** न्यायाधीशों को बार के व्यक्तगित सदस्यों के साथ घनषिठ संबंध स्थापति करने से से बचना चाहिये, परिवार के सदस्य यदविकील हैं, उनसे संबंधित मामलों की सुनवाई करने से बचना चाहिये और साथ ही राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक बहस में भाग नहीं लेना चाहिये।
 - **वत्तीय लाभ:** न्यायाधीशों को वत्तीय लाभ के माध्यम नहीं खोजने चाहिये और उन्हें शेरों में सट्टा नहीं लगाना चाहिये अथवा व्यापार अथवा व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिये।
 - **जनता की नगिहें:** न्यायाधीशों को हमेशा इस बात के प्रतसिचेत रहना चाहिये कवि सार्वजनिक जाँच के अधीन हैं, साथ ही उनके कार्यों से जसि उच्च पद पर वे हैं, उसे भी लाभ होना चाहिये।

न्यायाधीशों के लिये सेवानवृत्त उपरांत कार्य:


- हालाँकि भारतीय संवधान स्पष्ट रूप से न्यायाधीशों को सेवानवृत्तिके बाद के कार्यभार लेने से प्रतबिंधति नहीं करता है, लेकिन हतियों के संभावति टकराव को कम करने के लिये कूलगि-ऑफ अवधि लागू करने के सुझाव दिये गए हैं।
- पूर्व सी.जे.आई, आर.एम.लोढा ने कम-से-कम 2 वर्ष की कूलगि-ऑफ अवधि की सफिरशि की।
 - संवेदनशील पदों से सेवानवृत्त होने वाले अधिकारियों को कुछ समय के लिये सामान्यतः दो वर्ष के लिये कोई अन्य नयुक्त स्वीकार करने से रोक दिया जाता है।
 - पदों में ये कूलगि-ऑफ अवधि पर्याप्त समय के अंतराल के माध्यम से पछिली नयुक्ति एवं नई नयुक्ति के बीच संबंध को समाप्त करने पर आधारति होती है।
- अंतरराष्ट्रीय प्रथाएँ: तुलनात्मक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानवृत्त नहीं होते हैं बल्कि हतियों के टकराव को रोकने के लिये जीवन भर अपने पद पर बने रहते हैं।
 - यूनाइटेड किंगडम में, हालाँकि न्यायाधीशों को सेवानवृत्तिके बाद की नौकरियाँ लेने से रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन किसी भी न्यायाधीश ने ऐसा नहीं किया है, जो सेवानवृत्तिके बाद की भूमिकाओं के मुद्दे पर एक अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सेवानवृत्तिके बाद नौकरियाँ करने वाले न्यायाधीशों की समस्या से नपिटने के लिये क्या किया जा सकता है?

- **कूलगि-ऑफ अवधि लागू करना:**
 - पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर.एम.लोढा के सुझाव के अनुशंसाओं के आधार पर न्यायाधीश की सेवानवृत्त एवं सेवानवृत्तिके बाद किसी भी कार्यभार हेतु उनकी पात्रता के बीच एक अनवारिय कूलगि-ऑफ अवधि होनी चाहिये।
 - यह अवधि हतियों के संभावति टकराव को कम करने के साथ नष्पिकषता सुनश्चिति करने में सहायता प्रदान करेगी।
- **वधि आयोग की सफिरशें:**
 - 14वें वधि आयोग की रपौरट, 1958 की सफिरशियों ने इस चति पर प्रकाश डाला और साथ ही एक ऐसी प्रणाली की वकालत की जो स्वतंत्रता से समझौता कयि बना न्यायाधीशों को वत्तीय सुरक्षा सुनश्चिति करती है।
- **न्यायिक नैतिकता एवं मानकों को बढाना:**
 - न्यायाधीशों के लिये उनके कार्यकाल के दौरान तथा सेवानवृत्तिके बाद नैतिक दशि-नरिदेशों एवं मानकों को मज़बूत करने से न्यायपालिका की अखंडता और नष्पिकषता बनाए रखने में सहायता प्राप्त हो सकती है। न्यायाधीशों को व्यक्तगित हतियों पर न्यायपालिका में जनता के विश्वास को प्राथमकता देने के लिये प्रोत्साहति किया जाना चाहिये।
- **पारदर्शति में वृद्धि:**
 - सेवानवृत्त न्यायाधीशों को सेवानवृत्तिके बाद के पदों पर नयुक्त करने की प्रकरयि में अधिक पारदर्शति होनी चाहिये।
 - इसमें चयन के मानदंडों का खुलासा करना, इन भूमिकाओं के लिये खुली प्रतसिप्रद्धा सुनश्चिति करना और प्रत्येक नयुक्ति के पीछे के

कारणों को सार्वजनिक करना शामिल है।

//





Collegium System



- System of appointment and transfer of judges
- Evolved through judgments of the Supreme Court, and not by an Act of Parliament

Constitutional Provisions Related to Appointment of Judges

- Articles **124 (2)** and **217**- Appointment of judges to the Supreme Court and High Courts
 - President makes appointments after consulting with "such judges of the Supreme Court and of the High Courts" as s/he may deem necessary.
- But the Constitution does not lay down any process for making these appointments.

Evolution of the System

First Judges Case (1981)

- SC held that in the appointment of a judge of the SC or the HC, the word "consultation" in Article **124 (2)** and in Article **217** of the Constitution does not mean "concurrence"
- Gave the **executive primacy** over the judiciary in judicial appointments

Second Judges Case (1993)

- SC overruled the First Judges Case
- Gave birth to the **Collegium System (Primacy to the Judiciary)**
- Collegium included the Chief Justice of India and the **2** most senior judges of the SC

Third Judges Case (1998)

- SC expanded the Collegium to include the CJI and the **4** most-senior judges of the court after the CJI

Current Structure



Supreme Court Collegium: CJI and the **4** senior-most judges of the SC



High Court Collegium: CJI and **2** senior most judges of the SC

Criticism

- Opaqueness
- Scope for Nepotism
- Exclusion of Executive
- No Predetermined Procedure of Appointment

National Judicial Appointments Commission (NJAC)

- It was an attempt to replace the Collegium System. It prescribed the procedure to be followed by the Commission to appoint judges
- NJAC was established by the **99th** Constitutional Amendment Act, **2014**
- But the NJAC Act was termed unconstitutional and was struck down, citing it as having affected the independence of the judiciary



नष्ककष

- कोलकाता उच्च न्यायालय के पूरव न्यायाधीश के न्यायपालिका से पदत्याग करने और राजनीति में प्रवेश करने का नरिणय न्यायकि नष्पकषता, स्वतंत्रता, हतियों के संघरष, सार्वजनकि वशिवस एवं पेशेवर ज़मिमेदारी के संबंघ में महत्त्वपूर्ण नैतिक चलिओं को का कारण बनता है ।
- इन चलिओं का न्यायपालिका की अखंडता और वशिवसनीयता पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है, जो न्याय प्रशासन में नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्त्व को रेखांकित करता है ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

Q. भारतीय न्यायपालिका के संदरभ में, नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:(2021)

1. भारत के राष्ट्रपतकी पूरवानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूरतद्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवृत्त कसिी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है ।
2. भारत में कसिी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनरवलोकन की शक्तिप्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

??????:

Q. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नयिकृति के संदरभ में 'राष्ट्रीय न्यायकि नयिकृति आयोग अधनियिम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि । (2017)